



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 श्रावण, 1947 (श०)

संख्या - 374 राँची, सोमवार,

28 जुलाई, 2025 (ई०)

ग्रामीण विकास विभाग ।

संकल्प

21 जुलाई, 2025

संख्या- 2704—

विषय:- भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलछाजन विकास अवयव (WDC-PMKSY 2.0) परियोजनाओं में Spineless Cactus Plantation अन्तर्गत तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु 04 संस्था के मध्य Non-Financial MoU करने के सम्बन्ध में ।

1. भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में जलछाजन विकास अवयव अन्तर्गत झारखण्ड राज्य जलछाजन मिशन, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को 30 जलछाजन परियोजनाएँ के लिए, जिसमें 1.48 लाख हेक्टेयर भूमि का उपचार निर्धारित है, के निमित्त परियोजना लागत 393.5332 करोड़ रुपये (तीन सौ तिरानवे करोड़ तिरपन लाख बत्तीस हजार रुपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

2. उक्त 30 जलछाजन परियोजनाएँ राज्य के सभी जिलों में अवस्थित हैं। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जा रहा है। परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा 60% तथा राज्य सरकार के द्वारा 40% के अनुपात में राशि आवंटित की जाती है।

3. सचिव, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार को प्रेषित पत्र D.O. No.- 7-74/2022-WDC-PMKSY, दिनांक- 25.01.2024 द्वारा राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति (SLSC) के माध्यम से WDC-PMKSY 2.0 अन्तर्गत Spineless Cactus Cultivation का कार्य करने एवं इनके तकनीकी सहयोग के लिए 04 पक्षों यथा 1. भूमि संसाधन विभाग (DoLR), भारत सरकार, नई दिल्ली, 2. Indian Council of Agriculture Research (ICAR), भारत सरकार, नई दिल्ली, 3. International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), अम्लाहा, मध्य प्रदेश एवं 4. झारखण्ड राज्य जलछाजन मिशन (JSWM), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के मध्य MOU करने का निदेश दिया गया है।

4. झारखण्ड राज्य में WDC-PMKSY 2.0 अन्तर्गत कुल 411 हेक्टेयर क्षेत्र में Spineless Cactus Plantation कार्य का लक्ष्य दिया गया है।

5. भूमि संसाधन विभाग (DoLR), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रेषित पत्र File No.- 7-74/2022-WDC-PMKSY(e-3012759), दिनांक-15.02.2024 के आलोक में दिनांक- 13.02.2024 को "Promotion of Spineless Cactus Cultivation/ Plantation in Watershed Projects under WDC-PMKSY 2.0" विषय पर झारखण्ड राज्य में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा जलछाजन परियोजनाओं में Spineless Cactus Plantation को Promote करने का निर्णय लिया गया।

6. Spineless Cactus Plantation के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, जो शुष्क क्षेत्रों में एक अच्छे पशुधन चारे के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिसमें पशुधन के अच्छा स्वस्थ एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो सकेगा। इसके अतिरिक्त Spineless Cactus का बहुउद्देशीय उपयोग किया जाता है, जिसमें फल, सब्जी एवं औषधीय उपयोग महत्वपूर्ण है। यह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अच्छी प्रजाति का फसल है। बहुउद्देशीय फसल होने के कारण Spineless Cactus झारखण्ड के वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग बनेगा। लंबे समय से सूखे, भूमि क्षरण एवं रेगिस्तानीकरण की पृष्ठभूमि के विरुद्ध यह फसल महत्वपूर्ण सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक लाभ प्रदान करने वाली बन सकती है।

7. मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 19.03.2024 को राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति (SLSC) की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें जलछाजन परियोजनाओं में Spineless Cactus Plantation एवं इनके तकनीकी सहयोग हेतु 04 पक्षों यथा 1. भूमि संसाधन विभाग (DoLR), भारत सरकार, नई दिल्ली, 2. Indian Council of Agriculture Research (ICAR), भारत सरकार, नई दिल्ली, 3. International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), अम्लाहा, मध्य प्रदेश एवं 4. झारखण्ड राज्य जलछाजन मिशन (JSWM), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के मध्य Non Financial MoU हस्ताक्षर करने की सहमति प्रदान की गई है, अतएव Non Financial MoU हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह पूर्णतः गैर आर्थिक (Non Financial) होगा तथा इससे सरकार पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

8. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक-11.07.2025 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-12 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के. श्रीनिवासन,
सरकार के सचिव।
